भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2263
दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस योजना के तहत बजटीय व्यय

2263. श्री अशोक कुमार यादवः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा सीजीएचएस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष पर्याप्त बजटीय व्यय किया जाता है;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले पाँच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान सीजीएचएस पर कितना वार्षिक व्यय हुआ है और इसके लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार यह मानती है कि सीजीएचएस वर्तमान में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपेक्षित स्तर पर कार्य कर रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सीजीएचएस औषधालयों के माध्यम से जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं के वितरण की वर्तमान व्यवस्था का ब्यौरा क्या है;
(ङ) लाभार्थियों से नियमित रूप से दवाओं की अनुपलब्धता के संबंध में प्राप्त शिकायतों के क्या कारण हैं;
(च) क्या सीजीएचएस प्रणाली में सुधार या विकल्प (जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, एकीकृत स्वास्थ्य बीमा मॉडल, या डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन नेटवर्क) तलाशने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा विचाराधीन है; और
(छ) यदि हाँ, तो इन प्रस्तावों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (छ): केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अभिदान-आधारित चिकित्सा योजना है। यह योजना माननीय संसद-सदस्यों, भूतपूर्व संसद-सदस्यों, भारत के उच्चतम न्यायालय के वर्तमान और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के भूतपूर्व न्यायाधीशों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि को भी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएँ प्रदान करती है। सीजीएचएस संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है और पात्र लाभार्थियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए इसे निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सरकार ने सीजीएचएस की दक्षता और पहुँच में सुधार के लिए कई पहल की हैं। इनमें शामिल हैं:

(i) देश भर के अधिकांश शहरों में सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों का विस्तार करना।
(ii) विशेषीकृत देखभाल तक पहुंच बढ़ाने के लिए निजी अस्पतालों और निदान केंद्रों को पैनलबद्ध करना।

(iii) ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग, टेली-परामर्श सेवाओं जैसी डिजिटलीकरण पहलों का कार्यान्वयन करना
(iv) ई-संजीवनी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेवाओं जिससे स्वास्थ्य सेवा तक दूरस्थ पहुंच संभव हो सके, की शुरूआत करना।

सीजीएचएस को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायता अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान सीजीएचएस के अंतर्गत किए गए वार्षिक व्यय और लाभार्थियों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्ष	वास्तविक व्यय (करोड़ में)	लाभार्थियों की संख्या
2019-20	3966.19	33,57,675
2020-21	4236.86	36,11,596
2021-22	4368.02	38,45,168
2022-23	6419.89	41,61,524
2023-24	6109.82	44,50,343

सरकार ने सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से दवाओं की खरीद और वितरण के लिए समयबद्ध प्रक्रियाएँ निर्धारित की हैं। विवरण इस प्रकार हैं:

(i) नियमित रूप से ली जाने वाली दवाइयाँ: सीजीएचएस आरोग्य केंद्र, सीजीएचएस एमएसडी के माध्यम से एमएसओ/जीएमएसडी से नियमित दवाइयाँ प्राप्त करते हैं। जन औषधि दवाइयाँ पीएमजेएवाईके के अंतर्गत अलग से प्राप्त की जाती हैं जो आरोग्य केन्द्रों द्वारा संबंधित एडी ज़ोन को भेजी जाने वाली मासिक माँग पर आधारित होती हैं।

(ii) दिल्ली-एनसीआर अनुसूची: दिल्ली-एनसीआर में, एडी क्षेत्रों और केंद्रों के साथ साझा किए गए एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक 35 दिनों में आरोग्य केंद्रों को एमएसओ औषधियों की आपूर्ति की जाती हैं।

(iii) प्रतिबंधित दवाएं: विशेषज्ञ के पर्चे पर खरीदी गई, ये दिल्ली के लाभार्थियों के लिए एमएसडी दिल्ली द्वारा सीधे और एनसीआर के लिए नोडल केंद्रों के माध्यम से आपूर्ति की जाती हैं।

(iv) प्रतिबंधित दवाओं की आपूर्ति के लिए समय-सीमा: ऐसी दवाएं आमतौर पर दिल्ली में अगले कार्यदिवस पर और एनसीआर में 3-4 कार्यदिवसों के भीतर वितरित कर दी जाती हैं, हालांकि आपूर्ति श्रृंखला संबंधी समस्याओं के कारण देरी हो सकती है।

(v) उपलब्ध दवाएं उसी दिन वितरित कर दी जाती हैं, जबकि अनुपलब्ध विशेषज्ञ-निर्धारित दवाएं प्राधिकृत स्थानीय केमिस्टों के माध्यम से मंगाई जाती हैं, जिन्हें 48 घंटों के भीतर उन्हें आपूर्ति करना होता है, अन्यथा समझौता ज्ञापन के अनुसार जुर्माना लगाया जाता है।

इस मंत्रालय ने सेवा प्रदायगी में सुधार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का लाभ उठाने का बीड़ा उठाया है । वेबसाइट की विशेषताओं में लाभार्थियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड (ईएमआर) की उपलब्धता, दवाओं की ट्रैकिंग सुविधा, पेंशनभोगियों के लिए सीजीएचएस अंशदान के ऑनलाइन भुगतान हेतु भुगतान गेटवे के साथ एकीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, नया मोबाइल एप्लिकेशन, **MyCGHS 2.0** , सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों में दौरे के दौरान उस समय कतार की तत्काल स्थिति, दवाओं की ट्रैकिंग, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और उचित प्रक्रिया के बाद सॉफ्ट कॉपी के रूप में ऑनलाइन कार्ड बनाने जैसी उपयोगकर्ता-अनुकूल सुविधाएँ प्रदान करता है।

*****